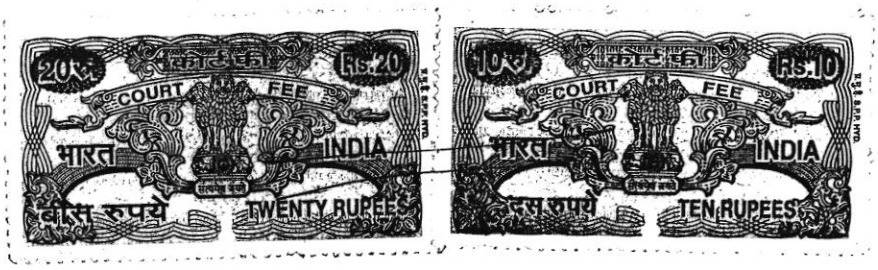

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक- /2016-2017 निगरानी

श्रीलाल पुत्र स्व. श्री सरवन जाति धाकड़, आयु- 65 वर्ष, व्यवसाय- खेती, निवासी- ग्राम परिच्छा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

----पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1- **लम्पी** पुत्र स्व. श्री सरवन

2- **खेरू** पुत्र स्व. श्री सरवन

3- **ओमप्रकाश** पुत्र स्व. श्री सरवन

4- **रामकटोरी** पत्नि श्रीलाल

समस्त निवासीगण- ग्राम परिच्छा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी(म.प्र.)

5- **पटवारी-हल्का नं. 85,** तहसील पोहरी जिला शिवपुरी

6- **तहसीलदार,** पोहरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

----प्रत्यर्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.11.2016 जो प्रकरण क्रमांक- 86/14-15 अपील वउन्वान श्रीलाल बनाम लम्पी आदि में न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया, को अपास्त किये जाने हेतु।

श्रीमान् महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण सादर प्रस्तुत है-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1- यहकि, प्रकरण में भूमि सर्वे क्रमांक- 129, 143, 145, 175, 288, 289, 293, 369, 569, 715, 816, 1126,

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निग0 4315–दो/16 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव रघुवंशी एवं कैवियतकर्ता अनावेदक कं. 1 लम्पी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण बटवारे का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि व्यवहार न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25–7–94 द्वारा सभी का 1/5 भाग मान्य किया गया है । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि तहसीलदार ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए बटवारा आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है । अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप उचित न मानते हुए निगरानी निरस्त की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त के आदेश में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	